



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 121]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 1, 2013/फाल्गुन 10, 1934

No. 121]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 1, 2013/PHALGUNA 10, 1934

शहरी विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2013

सा.का.नि. 155(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, (अधीनस्थ कार्यालय) समूह 'घ' पद भर्ती नियम, 1980 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, शहरी विकास मंत्रालय, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में समूह 'ग' पद अधीनस्थ अराजपत्रित, अननुसचिवीय बहुकार्य कर्मचारिवृन्द की भर्ती पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, (अधीनस्थ कार्यालय) बहुकार्य कर्मचारिवृन्द, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2013 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह अन्य व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकती है।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षण, छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिसका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन- और ग्रेड वेतन वेतनमान	इस या अथवा पद	सौदे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सौदे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सौदे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होगी या नहीं	परिकीर्ण की अवधि, यदि कोई है	भर्ती पद्धति: सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भर्ती जाने वाली स्थितियों का प्रतिपात	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नतियाँ या प्रतिनियुक्तियाँ आमेलन किया जाएगा	यदि कोई विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो इसका गठन किस प्रकार से किया है	परिस्थितियों जिनमें संघ सेवा आयोग से भर्ती संबंध परामर्श किया जाना है
बहुकार्य कर्मचारिवृत्त	3617* (2012)- कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह अरक्षकप्रति और अनुसूचित	वेतन- ग्रेड-1, 5200 रु - 20200 रु+ ग्रेड-वेतन 1800 रु.	लागू नहीं होता	आयु 18 से 25 वर्ष के बीच टिप्पण: आयु सीमा अस्थापित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अस्थायियों से आवेदन पत्र प्रेषण करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख हो। (न कि वह तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य की लद्दाख डिवीजन, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पिति जिले तथा चम्पा जिले का पांगी सब डिवीजन, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लखद्वीप में रह रहे अस्थायियों के लिए अंतिम तारीख निर्धारित की गई हो।) यदि भर्ती रोजगार कार्यालय के माध्यम से है तो ऐसे मामले में आयु सीमा के अन्वयण की निर्णायक तारीख रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए नियत अंतिम तारीख होगी।	शैक्षिक या समतुल्य अर्हता या आई आई उत्तीर्ण	लागू होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रति) पर विचार करने के लिए जो निम्नलिखित से मिल कर बनेगी: 1.अधीक्षण इंजीनियर, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग - अष्टमक 2. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से दो कार्यपालक इंजीनियर- सदस्य।	लागू नहीं होता

[फा. सं. 64/4/2012-एस एंड डी (इंडक्यू-II)]

अंजु बाजपेई, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2013

G.S.R. 155(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution and in the supersession of the Central Public Works Department (Subordinate Offices) Group 'D' posts Recruitment Rules, 1980, except as respects things done or omitted to be one before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'C' posts Subordinate Non-Gazetted, Non-Ministerial 'Multi Tasking Staff as the Central Public Works Department in the Ministry of Urban Development, namely :-

1. Short title and commencement.-

- (i) These rules may be called the Central Public Works Department, (Subordinate Offices) Multi Tasking Staff, Group 'C' posts, Recruitment Rules 2013.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and Pay Band and Grade Pay or Pay Scale.-
The number of post, its classification and Pay Band and Grade Pay or Pay Scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualification etc.- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule aforesaid.

4. Disqualification. - No person,—

- a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
- shall be eligible for appointment to the said post;

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation and other concessions required to be provided for the Schedule Castes, the Schedule Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Number of post	Classification	Pay Band and Grade pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age Limits for Direct Recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or by absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making the Recruitment		
Multi Tasking Staff	* 3617 (2013) *(Subject to variation dependent on workload)	Pay Band-1: ₹5200-20200+ Grade Pay, ₹1800/-	(5) Not applicable	(6) Between 18 and 25 years of age Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Jammu and Kashmir State, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangti Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar islands or Lakshadweep). In case of recruitment made through the employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.	(7) Matriculation or equivalent qualification or ITI Pass	(8) Not applicable	(9) Two years	(10) By direct recruitment.	(11) Not applicable	(12) Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Superintending Engineer, Central Public Works Department - Chairman 2. Two Executive Engineers, from Central Public Works Department-Members	(13) Not applicable		

[E. No. 64/4/2012-S&D(EW-II)]
AMBUJ BAJPAL, Under Secy.